



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102023-249311
CG-DL-E-11102023-249311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945

No. 579]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 732(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 16 की उपधारा (1क), उपधारा (3) और उपधारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घक), खंड (ङ) और खंड (च) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें)

नियम, 2009 की अनुसूची 3 में क्र. सं. 12 के सामने स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“स्तर 9 (53100-167800 रु.)”

[फा. सं. सीओएमपी-01/2/2023-सीओएमपी-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, संख्यांक सा.का.नि. 338(अ), तारीख 15 मई, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 439(अ), तारीख 23 जून, 2009, सा.का.नि. 934(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2009 और सा.का.नि. 587(अ), तारीख 4 अगस्त, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2023

G.S.R. 732(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (da), (e) and (f) of sub-section (2) of section 63 read with sub-sections (1A), (3) and (4) of section 16 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009, namely:—

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General, other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Second Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009, in Schedule III, against serial number 12, in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Level 9 (Rs. 53100 – 167800).”.

[F. No. Comp-01/2/2023-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 338 (E), dated the 15th May, 2009 and subsequently amended vide notification number, G.S.R. 439(E), dated the 23rd June, 2009; G.S.R. 934(E), dated the 31st December, 2009 and G.S.R. 587(E), dated the 4th August, 2023.